लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश

गौतम नगर, भोपाल – 462023

दूरभाष कमांक : 0755–2583659, ई–मेल : dpividhya@gmail.com

कमांक / विद्या / पी / मान्यता / 2020 / 2126 भोपाल दिनांक ~~नवम्बर~~ .2020 20-12-2020

प्रति,

1 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश।

2 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्य प्रदेश।

विषय :–स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) के बिना प्रवेश नहीं दिये जाने विषयक्।

अशासकीय विद्यालयों के विभिन्न संगठनों के साथ हुई चर्चा के दौरान उनके प्रतिनिधियों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि कुछ शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय अन्य विद्यालयों के ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है जिनके पास पूर्व विद्यालय का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी. सी.) उपलब्ध नहीं है। उक्तानुसार कार्यवाही नियम विरूद्व है।

उक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि मध्यप्रदेश शिक्षा संहिता (अमहाविद्यालयीन शाखा) , 1973 के अध्याय 3 जो कि पूर्व – माध्यमिक एवं उच्च शालाओं का प्रबंध से संबंधित है , के अध्याय– 45 (2) जो कि प्रवेश से संबंधित है में स्पष्ट उल्लेख है कि –

" किसी विद्यार्थी का अभिभावक , जो मध्यप्रदेश की किसी मान्यता प्राप्त शाला में स्थानान्तरण होने पर विद्यार्थी को प्रवेश दिलाना चाहता हो, प्रवेश संबंधी आवेदन–पत्र के साथ उस शाला का प्राप्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, जहां उसने अंतिम बार अध्ययन किया हो।"

स्पष्ट है कि उक्तानुसार बिना स्थानान्तरण प्रमाणपत्र के प्रवेश दिये जाने की कार्यवाही अनुचित है। अतः निर्देशित किया जाता है समस्त अशासकीय / शासकीय विद्यालयों द्वारा नियमानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाये। इस संबंध में शिकायत मिलने पर संबंधितों के विरूद्व कार्यवाही प्रस्तावित की जाए।

(के.के.द्विवेदी)
संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ.क्रं. / म.प.सं.सं. / अकादमिक / 2020 / 05 भोपाल दिनांक........./ 12 / 2020 01/01/2021

समस्त प्राचार्य / प्रबंधक . शासकीय / अशासकीय संस्कृत विद्यालय / परामपरागत संस्कृत विद्यालय, संचालक लोकशिक्षण के निर्देशानुसार प्रवेश संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(प्रभातराज तिवारी)
निदेशक
महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान
म.प्र.भोपाल